# न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारीः—पीयूष समारिया, I.A.S.

प्रकरण संख्या —75 / 2025 (अपील)

GCMS No.- 2025 / 124

श्रीमती शान्ति देवी गोयल पत्नी स्व. श्री घनश्याम दास गोयल, जाति महाजन निवासी मकान नम्बर 13 / 1211, टीचर्स कॉलोनी, गुमानपुरा, कोटा राज0

—अपीलान्ट.

बनाम

1. श्रीमती सन्तोष गोयल पत्नी स्व. श्री नारायण दास गोयल
2. कमल गोयल पुत्र स्व. श्री नारायण दास गोयल

निवासीगण मकान नम्बर 13 / 1211, टीचर्स कॉलोनी, गुमानपुरा कोटा ।

—रेस्पोडेन्ट.

**अपील अन्तर्गत धारा 16(1) माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम 2007 विरूद्व आदेश दिनांक 11.6.2025 मि0नं0 98 / 2023 उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट कोटा**

उपस्थितः—

1. श्री शैलेश कुमार अभिभाषक अपीलांट
2. श्री शिवशक्ति सिंह अभिभाषक रेस्पोडेन्टगण

## *निर्णय*

दिनांक—20.01.2026

1. प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अधीनस्थ ट्रिब्यूनल न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट कोटा द्वारा प्रार्थीया अपीलांट के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के पेश किया जाने पर प्रस्तुत प्रार्थना पर दिनांक 11.06.2025 को आदेश पारित किया है कि—" प्रार्थीया द्वारा इस बाबत कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है कि प्रतिवादीगण द्वारा उसे शारीरिक या मानसिक रूप से प्रताडित किया हो, बकाया किराये की वसूली की अधिकारिता इस न्यायालय में नीहित ना होने, प्रार्थी के पास आय का स्त्रोत होने तथा सम्पत्ति विभाजन का वाद न्यायालय जिला न्यायाधीश कोटा में जैरकार होने से हम प्रार्थीया का यह आवेदन अस्वीकार किया जाना न्यायोचित पाते है । अतः प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाता है परन्तु न्यायहित एवं सीनियर सिटीजन एक्ट की भावना को मध्यनजर रखते हुये अप्रार्थीगण को पाबंद किया जाता है । अप्रार्थीगण प्रार्थीया के साथ गाली गलोच एवं मारपीट नहीं करें और ना ही उनके साथ किसी प्रकार की शारीरिक एवं मानसिक क्रूरता कारित करें तथा उनके शांतिपूर्ण जीवन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें ।
2. अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 11.06.2025 की अप्रसन्नता में यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 04.08.2025 को पेश की गई है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा परिवादिया द्वारा प्रस्तुत किये गये परिवाद का पूर्ण रूप से अवलोकन नहीं किया है यहां तक कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यह तक भी नहीं देखा गया कि अपीलान्ट एक वरिष्ठ नागरिक है जिसकी सम्पत्ति पर रेस्पोडेन्टगण द्वारा कब्जा किया हुआ है, रेस्पोडेन्टगण अपीलान्ट को ना तो कब्जेशुदा हिस्से का किराया अदा किया जा रहा है और ना ही अपीलान्ट को भरण पोषण राशि अदा की जा रही है जबकि वरिष्ठ नागरिक अधिनियम के तहत वृद्वजनों अशक्त आश्रित व्यक्तियों के लिए न्यायालय को आवश्यक आदेश दिये हुए है कि वे वरिष्ठ नागरिक की सम्पत्ति से किसी भी व्यक्ति को बेदखल कर उसे उसके वंशजों से निर्वाह राशि भरण पोषण हेतु दिलाये

। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया है जो सर्वथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों व तथ्यों के सर्वथा विपरीत होने के कारण निरस्त होने योग्य है ।

3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट की जरिये सम्मन तलबी की गई । रेस्पोडेन्ट नं0 1 व 2 की ओर से श्री शिवशक्ति सिंह अभिभाषक का वकालतनामा पेश हुआ । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । पक्षकारान एवं विद्वान अभिभाषकगण उपस्थित । उभय पक्ष की बहस सुनी ।

4. वकील अपीलांट ने अपील मेमों में अंकित तथ्यों को ही अपनी बहस में दौहराते हुए कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा परिवादिया द्वारा प्रस्तुत किये गये परिवाद का पूर्ण रूप से अवलोकन नहीं किया है यहां तक कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यह तक भी नहीं देखा गया कि अपीलान्ट एक वरिष्ठ नागरिक है जिसकी सम्पत्ति पर रेस्पोडेन्टगण द्वारा कब्जा किया हुआ है, रेस्पोडेन्टगण अपीलान्ट को ना तो कब्जेशुदा हिस्से का किराया अदा किया जा रहा है और ना ही अपीलान्ट को भरण पोषण राशि अदा की जा रही है जबकि वरिष्ठ नागरिक अधिनियम के तहत वृद्वजनों अशक्त आश्रित व्यक्तियों के लिए न्यायालय को आवश्यक आदेश दिये हुए है कि वे वरिष्ठ नागरिक की सम्पत्ति से किसी भी व्यक्ति को बेदखल कर उसे उसके वंशजों से निर्वाह राशि भरण पोषण हेतु दिलाये । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश कि प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाता है परन्तु न्यायहित एवं सीनियर सिटीजन एक्ट की भावना को मध्यनजर रखते हुए अप्रार्थीगण को पाबंद किया जाता है कि अप्रार्थीगण प्रार्थीया के साथ गाली गलोच एवं मारपीट नहीं करें और ना ही उनके साथ किसी प्रकार की शारीरिक एवं मानसिक क्रूरता कारित करें तथा उनके शान्तिपूर्ण जीवन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें । इस प्रकार का आदेश अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया है जिसमें अपीलान्ट भरण पोषण राशि के रूप में कोई राशि नहीं दिलाई गयी है ऐसी स्थिति में अपीलान्ट अपनी भरण पोषण राशि किस व्यक्ति से प्राप्त करें यह उक्त अधिनस्थ न्यायालय के आदेश में कहीं अंकित नहीं किया गया है अपीलान्ट को रेस्पोडेन्टगण से भरण पोषण राशि नहीं दिलाने की भारी भूल कारित है, इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वज्ञरा पारित आदेश अपास्त होने योग्य है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली में सम्पूर्ण साक्ष्य दस्तावेज होने के बावजूद भी पत्रावली का अवलोकन नहीं कर उक्त निर्णय पारित किया है जो कि अपास्त होने योग्य है । रेस्पोडेन्टगण द्वारा अपीलान्ट की सम्पत्ति पर अपना कब्जा कारित कर अपीलान्ट को भूखे मरने की स्थिति में लाकर खडा कर दिया क्योंकि अपीलान्ट उक्त कब्जेशुदा परिसर को किराये पर देकर अपना भरण पोषण करती थी जिसको रेस्पोडेन्टगण द्वारा छीनलिया गया है ना तो रेस्पोउेन्टगण अपीलान्ट को किराये अदा कर रहे है और ना ही अपीलान्ट को भरण पोषण राशि अदा कर रहे है, अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 11.6.2025 निरस्त किया जाने के आदेश प्रदान करें तथा रेस्पोडेन्टगण से आज की महंगाई को देखते हुए 30,000/– मासिक भरण पोषण राशि दिलाई जावें । वकील अपीलांट ने अपील के समर्थन में राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक निर्णय (2020) 2 RLW 1522 राकेश सोनी बनाम श्रीमति प्रेमलता सोनी एवं (2022) 3 RLW 2119 "प्रस्तुत की है । उक्त न्यायिक निर्णयों में अधीकरण द्वारा माता पिता की स्वअर्जित सम्पत्ति से पुत्र व पुत्रवधु को बेदखली का आदेश को चुनोती दी गई, उक्त न्यायिक निर्णय में पुत्र व पुत्रवधु को सीनियर सिटीजन की सम्पत्ति से बेदखल करने का अधिकार माना है ।"

5. वकील रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया है कि अप्रार्थीया उक्त परिसर में किरायेदार नहीं है किन्तु प्रार्थीया किरायेदार अभिकथित करती है तथा उक्त परिसर का कब्जा व बकाया किराया प्राप्त करने का अनुतोष चाहती है जबकि कब्जे एवं किराये का बकाया की रिकवरी का अनुतोष किराया अधिकरण कोटा ही प्राप्त है । प्रार्थी ने जान बूझकर एलेक्टीवली अपने पुत्र नवरतन व पुत्री पुष्पा के विरूद्व भरण पोषण नहीं मांगा है जबकि पुत्र नवरतन को प्रार्थीया के पति से व्यवसायिक प्रतिष्ठाान "अग्रवाल मिष्ठान भण्डार" विभाजन में प्राप्त हुआ है तथा पुत्री पुष्पा द्वारा प्रार्थीया के पति घनश्याम जी की संपत्तियों से मकान 13/1311 में 1/4 हिस्सा

प्राप्ती का दावा किया है । अर्थात संपत्तियों में हिस्सा प्राप्त करने वाली प्रार्थीया की अन्य संताने नवरतन व पुष्पा शेखावत को पक्षकारनहीं बनाया है । प्रार्थीया मकान संख्या 13/1315 को अपनी संपत्ति बता रही है जबकि उक्त मकान प्रार्थीया के पति घनश्यामदास जी की संपत्ति है जिसके संबंध में पारिवारिक बंटवारा दिनांक 4.2.2021 को निष्पादित हुआ था जिसमें उक्त मकान 13/1315 अप्रार्थीगण के हिस्से में आया था । यदि उक्त मकान प्रार्थीया की संपत्ति होता तो प्रार्थीया के पुत्र नवरतन व पुत्री पुष्पा को पारिवारिक बंटवारे में विभाजित नहीं करते तथा उक्त मकान 13/1315 के बंटवारे के संबंध में एक वाद अपर जिला न्यायाधीश क्रम 5 कोटा के समक्ष विचाराधीन है जिसमें प्रार्थीया और उसका पुत्र नवरतन तथा पुत्री पुष्पा पक्षकार है अर्थात ऐसी परिस्थिति में अप्रार्थीगण को उक्त दुकानों से बेदखल करने का अधिकार अधीनस्थ न्यायालय को नहीं है । इन्ही तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित किया है जिसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है । वकील रेस्पोडेन्ट ने आगे कथन किया है कि इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 27.3.2025 को **समतोला देवी बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में निर्धारित किया है कि बंटवारे का दावा विचाराधीन हो तो बेदखली का आदेश नहीं दिया जा सकता है** । अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावें ।

6. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अपीलांट द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 11.06.2025 के विरूद्व दिनांक 04.08.2025 को पेश की गई है, जो निर्धारित अवधि 60 दिवस अन्दर मियाद है । वकील अपीलांट का तर्क है कि प्रार्थीया अपीलांट 80 वर्षीय वृद्व महिला हैं तथा वरिष्ठ नागरिक है जो टीचर्स कॉलोनी, गुमानपुरा कोटा की निवासनी है तथा वर्तमान में मकान नं0 13/1315 वाके टीचर्स कॉलोनी गुमानपुरा स्थित मकान प्रार्थीयापरिवादिया की मिल्यित अचल सम्पत्ति है जिसकी वह एक मात्र मालिक है । उपोक्त वर्णित मकान के नीचे 4 दुकाने भी निर्मित है जिसमें परिवादिया की पुत्र वधु सन्तोष गोयल व पोत्र कमल द्वारा प्रार्थीया को धोखा देते हुस मौखिक रूप से किराये पर ली थी तथा किराया 15000/– मासिक तय किया गया था जो आज तक अपार्थीया को अदा नहीं किया अप्रार्थीगण द्वारा उक्त दुकानों पर कब्जा किया हुआ है, इसी प्रकार प्रार्थीया के स्व0 पति के स्वामित्व वाले मकान पर भी अप्रार्थीगण ने जबरन कब्जा किया हुआ है । उक्त मकान में प्रार्थीया एवं अप्रार्थीगण एकसाथ निवास कर रहे है, किन्तु उक्त परिसर से प्रार्थीया को अप्रार्थीगण द्वारा लडाई झगडा कर धक्के मारकर निकाल दिया और उस पर अप्रार्थीगण ने जबरन कब्जा कर लिया है । जिस पर अधीनस्थ न्यायालय में धारा 5, 23 24 सीनियर सिटीजन एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थीया अपीलांट को निर्वाह भत्ता दिलाया जाने व उसके पति के मान पर जो अप्रार्थीगण के द्वारा असंवैधानिक रूप से कब्जा किया है उन तमाम अचल सम्पत्तियों वाले मकान पर कब्जा मालिकाना हक अधिकार प्रार्थीया अपीलांट को दिलाने का प्रस्तुत किया था किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली में सम्पूर्ण साक्ष्य दस्जावेज होने के बावजूद भी पत्रावली का अवलोनक नहीं कर उक्त निर्णय पारित किया है जिसे निरस्त फरमाया जावें तथा 30,000/– की मासिक भरण पोष्ज्ञण राशि रेस्पोडेन्टगण से दिलाई जावें एवं अपीलान्टगण को शान्तिपूर्ण जीवन व्यतीत करने दे एवं किसी प्रकार से शारीरिक मानसिक कूरता कारित नहीं करें एवं गाली गलोच व मारपीट नहीं करें ।

7. प्रार्थीया द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में भरण पोषण एवं उक्त वर्णित सम्पत्तियों से अप्रार्थीगण रेस्पो0 को बेदखल कर कब्जा दिलाने का अनुतोष चाहा गया था । किन्तु इस अपील में अपीलांट द्वारा 30,000/– भरण पोषण की राशि प्रतिमाह रेस्पो0 से चाही गई है । पत्रावली के अवलोकन से यह जाहिर आया है कि पक्षकारान के मध्य सम्पत्ति विभाजन का प्रकरण जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोटा में विचाराधीन होना जाहिर आया है, जबकि सम्पत्ति के विभाजन का प्रकरण विचाराधीन रहते हुए सीनियर सिटीजन एक्ट के तहत सम्पत्ति से बेदखल किया जाना उचित नहीं है । इस बाबत माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा के न्यायिक निर्णय समतोला देवी बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एवं अन्य निर्णय दिनांक 27.3.

2025 के पैरा नं0 33 में यह प्रतिपादित किया है कि सम्पत्ति के विभाजन, उपहारों एवं विक्रय विलेखों का दावा दीवानी न्यायालय में विचाराधीन रहते हुए धारा 23 के तहत बेदखली उचित नहीं है । इस प्रकरण में भी वर्णित उक्त मकान नं0 13/1315 के बंटवारे का वाद अपर जिला न्यायाधीश क्रम–5 कोटा में विचाराधीन है इसी आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थीया के बेदखली की प्रार्थना अस्वीकार की है । यहां यह भी उल्लेखनीय है कि रेस्पो0 नं0 1 प्रार्थीया के मृतक पुत्र नारायण दास गोयल की पुत्रवधु है रेस्पो0 नं0 2 कमल गोयल पोत्र है । प्रार्थीया अपीलांट के एक ओर छोटा पुत्र नवरतन एवं पुत्री पुष्पा शेखावत भी है जिन्हें प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया है तथा उनसे भरण पोषण की मांग नहीं की है ।

8. वकील अपीलांट ने राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक निर्णय (2020) 2 RLW 1522 राकेश सोनी बनाम श्रीमति प्रेमलता सोनी निर्णय दिनांक 18.10.2019 एवं (2022) 3 RLW 2119 सुरेश शर्मा बनाम धनवन्ती शर्मा निर्णय दिनांक 7.4.22 "प्रस्तुत की है । उक्त न्यायिक निर्णयों में अधीकरण द्वारा माता पिता की स्वअर्जित सम्पत्ति से पुत्र व पुत्रवधु को बेदखली का आदेश को चुनोती दी गई, उक्त न्यायिक निर्णय में पुत्र व पुत्रवधु को सीनियर सिटीजन की सम्पत्ति से बेदखल करने का अधिकार माना है ।" किन्तु **माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायिक निर्णय समतोला देवी बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एवं अन्य निर्णय दिनांक 27.3.2025 के पैरा नं024,26 व 33 में प्रतिपादित अनुसार सम्पत्ति के विभाजन, उपहारों एवं विक्रय विलेखों का दावा दीवानी न्यायालय में विचाराधीन रहते हुए धारा 23 के तहत बेदखली उचित नहीं है । इस प्रकार** (2020) 2 RLW 1522 राकेश सोनी बनाम श्रीमति प्रेमलता सोनी निर्णय दिनांक 18.10.2019 एवं (2022) 3 RLW 2119 सुरेश शर्मा बनाम धनवन्ती शर्मा निर्णय दिनांक 7.4.22 Overrule हो चुके है ।

9. इस प्रकार जाहिर हो रहा है कि अपीलांटा केवल अपने मृतक पुत्र की विधवा व पोत्र को बेदखल कराना चाहते है । जो सिविल न्यायालय में विभाजन के वाद के विचाराधीन रहते हुए बेदखली उचित नहीं पाते है । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय उचित है । अपील अपीलांट अस्वीकार योग्य पाते है ।

10. परिणामतः अपील अपीलांट स्वीकार करने के पर्याप्त एवं विधिक आधार पत्रावली पर उपलब्ध नहीं होने से अपील अपीलांट अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 11.6.2025 में कोई हस्तक्षेप करना उचित नहीं होने से यथावत रखा जाता है ।

11. निर्णय आज दिनांक 20.01.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(पीयूष समारिया)
जिला कलक्टर, कोटा
जिला कलक्टर
कोटा